



प्रेस नोट

दिनांक 29.12.2024

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.12.2024 को थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्त आदेश पुत्र मंगल को 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 573/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आदेश पुत्र मंगल (उम्र करीब 32 वर्ष) निवासी ग्राम परा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

बरामदगी-

01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 213/2020 धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर।

2. मु0अ0सं0 364/2017 धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 थाना राठ जनपद हमीरपुर।

3. मु0अ0सं0 546/2023 धारा 504, 506 भा0द0सं0 थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित साहू
2. उ0नि0 शिवम दत्त
3. का0 जितेन्द्र यादव

